भारत सरकार
ग्रामीण विकास मंत्रालय
ग्रामीण विकास विभाग

लोक सभा
अतारांकित प्रश्न सं. 3698
(12 अगस्त, 2025 को उत्तर दिए जाने के लिए)

मनरेगा के अंतर्गत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति को रोजगार

3698. श्री योगेन्द्र चांदोलिया:
श्री आलोक शर्मा:
श्री लुम्बाराम चौधरी:
श्री पी. पी. चौधरी:
श्री अनूप प्रधान वाल्मीकि:
श्रीमती स्मिता उदय वाघ:
श्री दिनेशभाई मकवाणा:
श्री बिद्युत बरन महतो:
श्रीमती महिमा कुमारी मेवाड़:
श्रीमती हिमाद्री सिंह:
श्री प्रभुभाई नागरभाई वसावा:
श्रीमती कमलेश जांगड़े:
सुश्री कंगना रनौत:
श्री बिभु प्रसाद तराई:
श्रीमती अपराजिता सारंगी:
श्री गोडम नागेश:
डॉ. हेमांग जोशी:

क्या **ग्रामीण विकास मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (मनरेगा) के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का मध्य प्रदेश के शहडोल लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव लोक सभा निर्वाचन क्षेत्र सहित राज्यवार, जिलेवार और वर्षवार ब्यौरा क्या है और उनकी संख्या कितनी है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान योजना के अंतर्गत 100 दिन का रोजगार प्राप्त करने और पूरा करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लाभार्थियों की संख्या कितनी है;

(ग) सभी राज्यों में कुल मनरेगा रोजगार में एससी/एसटी कामगारों की सहभागिता का प्रतिशत राज्यवार और जिलेवार कितना है;

(घ) सरकार द्वारा ग्रामीण रोजगार योजनाओं में एससी/एसटी परिवारों का अधिक समावेशन और सहभागिता सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं; और

(ङ) क्या सरकार जलगांव जैसे आकांक्षी जिलों में असुरक्षित व कमजोर समुदायों को सहायता प्रदान करने के लिए मनरेगा के अंतर्गत वर्तमान 100-दिवसीय रोजगार सीमा को संशोधित करने की योजना बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर
ग्रामीण विकास राज्य मंत्री
(श्री कमलेश पासवान)

(क) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना (महात्मा गांधी नरेगा योजना) एक मांग आधारित मजदूरी रोजगार योजना है। यह आजीविका सुरक्षा प्रदान करती है, अर्थात जब ग्रामीण परिवारों के पास आजीविका का कोई बेहतर अवसर उपलब्ध नहीं होता है तब यह उन्हें आजीविका के लिए सहारा देने वाले विकल्प का काम करती है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक 100 दिनों का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण अनुबंध-I में दिया गया है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र और महाराष्ट्र के जलगांव लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत मध्य प्रदेश के शहडोल लोकसभा क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार					
जिले	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
अनूपपुर	5,095	4,206	3,206	6,491	11,349
उमरिया	1,052	1,260	1,712	2,941	4,921
शहडोल	1,434	1,616	1,602	4,086	9,574
कटनी	1,244	1,134	1,324	2,898	5,887

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

नोट: शहडोल लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र संपूर्ण अनूपपुर और उमरिया जिलों और शहडोल और कटनी जिलों के कुछ भागों को कवर करता है।

महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत लोकसभा के जलगांव निर्वाचन क्षेत्र में 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवार					
वित्तीय वर्ष	2024-25	2023-24	2022-23	2021-22	2020-21
जलगांव ग्रामीण	131	151	60	95	148
अमलनेर	489	298	366	413	118
एरंडोल	238	122	68	87	303
चालीसगांव	1,219	489	373	442	386
पचोरा	265	326	140	227	172

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के जिला-वार आंकड़े नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट संख्या आर 5.1.5 के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर देखे जा सकते हैं, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है:
https://nreganarep.nic.in/netnrega/MISreport4.aspx

(ख) इस योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) परिवारों का विवरण निम्नानुसार है:

वित्तीय वर्ष	अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) के परिवार जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है। (आंकड़े लाख में)	
	अनुसूचित जाति (एससी)	अनुसूचित जनजाति (एसटी)
2024-25	6.78	10.27
2023-24	8.18	9.55
2022-23	6.76	8.13
2021-22	10.89	14.22
2020-21	14.11	17.21

(नरेगा सॉफ्ट के अनुसार)

(ग) महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत अनुबंध-II में दिया गया है।

वित्तीय वर्ष 2020-21 से 2024-25 तक के जिले-वार डेटा को नरेगा सॉफ्ट की रिपोर्ट संख्या आर 5.1.5 के माध्यम से निम्नलिखित लिंक पर देखा जा सकता है, जो सार्वजनिक डोमेन में उपलब्ध है: https://nreganarep.nic.in/netnrega/MISreport4.aspx

(घ): भारत सरकार, महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत अनुसूचित जाति (एससी) और अनुसूचित जनजाति (एसटी) सहित इच्छुक पात्र ग्रामीण परिवारों को उनकी मांग के अनुसार पर्याप्त रोजगार के अवसर प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। चालू वित्त वर्ष 2025-26 (08.08.2025 की स्थिति के अनुसार) के दौरान इस योजना के तहत रोजगार की मांग करने वाले 99.79% पात्र ग्रामीण परिवारों को काम की पेशकश की गई है। इसी अवधि के दौरान, महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सृजित कुल श्रम दिवसों में से 17.98% अनुसूचित जाति (एससी) के लिए सृजित किए गये, जबकि 17.42% श्रम दिवस अनुसूचित जनजाति (एसटी) के लिए सृजित किए गये।

केन्द्र सरकार ने इस योजना के बारे में जागरूकता पैदा करने के लिए कई उपाय शुरू किए हैं। जो इस प्रकार हैं, (i) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम, 2005 के प्रावधानों के व्यापक प्रसार के लिए दीवार पेंटिंग सहित उचित सूचना शिक्षा और संचार (आईईसी) अभियान शुरू करना, (ii) मांग पंजीकरण प्रणाली के दायरे और कवरेज का विस्तार करना ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के तहत काम की मांग अपंजीकृत न रहे, (iii) भागीदारी मोड में योजनाएं तैयार करना और उन्हें ग्राम सभा में अनुमोदित करना, (iv) 'रोजगार दिवस' का आयोजन करना।

मंत्रालय इस योजना के कार्यान्वयन पर लगातार कड़ी निगरानी रख रहा है और राज्यों को आवश्यक सहायता प्रदान कर रहा है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत सभी पात्र ग्रामीण परिवार अपनी मांग के अनुसार रोजगार प्राप्त कर सकें।

(ङ) महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम (महात्मा गांधी नरेगा), 2005, जो प्रत्येक वित्तीय वर्ष में प्रत्येक परिवार को जिसके वयस्क सदस्य अकुशल शारीरिक श्रम करने के

इच्छुक हैं उन्हें कम से कम 100 दिनों का गारंटीकृत मजदूरी रोजगार प्रदान करके देश के ग्रामीण क्षेत्रों में परिवारों की आजीविका सुरक्षा में वृद्धि करता है।

मंत्रालय ने वन क्षेत्र में प्रत्येक अनुसूचित जनजाति परिवार को अतिरिक्त 50 दिन का मजदूरी रोजगार (निर्धारित 100 दिनों के अतिरिक्त) प्रदान करने का आदेश दिया है, बशर्ते कि इन परिवारों के पास वन अधिकार अधिनियम (एफआरए), 2006 के तहत प्रदत्त भूमि अधिकारों के अलावा कोई अन्य निजी संपत्ति न हो।

इसके अतिरिक्त, सूखा/प्राकृतिक आपदा प्रभावित अधिसूचित ग्रामीण क्षेत्रों में एक वित्तीय वर्ष में 50 दिनों तक का अतिरिक्त मजदूरी रोजगार उपलब्ध कराने का प्रावधान है। इसके अलावा, अधिनियम की धारा 3(4) के अनुसार, राज्य सरकारें अपने स्वयं के कोष से अधिनियम के तहत गारंटीकृत अवधि से परे अतिरिक्त रोजगार दिवस प्रदान करने का प्रावधान कर सकती हैं।

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के भाग (क) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-I

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों 2020-21 से 2024-25 तक 100 दिन का रोजगार पूरा करने वाले परिवारों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार विवरण

(आंकड़े लाख में)

क्र. सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	वे परिवार जिन्होंने 100 दिन का रोजगार पूरा कर लिया है				
		2024 -25	2023-24	2022 -23	2021 -22	2020 -21
1	आंध्र प्रदेश	5.10	6.87	2.60	4.69	8.63
2	अरुणाचल प्रदेश	0.18	0.05	0.06	0.07	0.04
3	असम	0.24	0.19	0.21	0.52	0.71
4	बिहार	0.45	0.34	0.40	0.22	0.35
5	छत्तीसगढ़	3.34	3.43	3.51	5.56	6.12
6	गोवा	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
7	गुजरात	0.19	0.23	0.17	0.39	0.17
8	हरियाणा	0.02	0.03	0.03	0.11	0.14
9	हिमाचल प्रदेश	1.11	0.77	0.51	0.81	0.89
10	जम्मू और कश्मीर	0.08	0.08	0.10	0.24	0.23
11	झारखंड	0.82	1.00	0.74	0.89	1.14
12	कर्नाटक	0.40	0.43	0.32	1.76	2.40
13	केरल	5.20	5.69	4.50	5.13	4.70
14	लद्दाख	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01
15	मध्य प्रदेश	0.72	0.80	0.95	2.05	3.22
16	महाराष्ट्र	4.13	2.80	1.39	1.74	1.37
17	मणिपुर	0.01	0.00	0.00	0.02	0.04
18	मेघालय	0.72	0.78	0.67	2.01	1.74
19	मिजोरम	1.57	1.29	0.99	0.67	1.78
20	नागालैंड	0.01	0.00	0.00	0.00	0.00
21	ओडिशा	2.01	3.39	4.17	4.58	4.17
22	पंजाब	0.13	0.15	0.14	0.24	0.28
23	राजस्थान	5.11	5.09	4.54	9.92	12.31
24	सिक्किम	0.04	0.04	0.05	0.05	0.06
25	तमिलनाडु	1.19	3.97	3.90	2.24	1.79
26	तेलंगाना	0.93	1.35	0.34	3.29	3.42
27	त्रिपुरा	0.61	0.69	0.50	1.09	1.16
28	उत्तर प्रदेश	6.19	5.31	4.95	5.84	7.77
29	उत्तराखंड	0.25	0.15	0.21	0.31	0.48
30	पश्चिम बंगाल	0.00	0.00	0.02	4.71	6.79
31	अंडमान और निकोबार	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
33	लक्षद्वीप	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
34	पुदुचेरी	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
कुल		**40.73**	**44.95**	**35.94**	**59.14**	**71.93**

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

अनुबंध

लोकसभा में दिनांक 12.08.2025 को उत्तर दिये जाने के लिए नियत अतारांकित प्रश्न संख्या 3698 के भाग (ग) के उत्तर में उल्लिखित अनुबंध-II

महात्मा गांधी नरेगा योजना के अंतर्गत पिछले पांच वित्तीय वर्षों के दौरान रोजगार प्राप्त करने वाले अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति श्रमिकों का राज्य/संघ राज्य क्षेत्र-वार प्रतिशत

क्र. सं.	राज्य	वित्त वर्ष 2024-25		वित्त वर्ष 2023-24		वित्त वर्ष 2022-23		वित्त वर्ष 2021-22		वित्त वर्ष 2020-21	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति	अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	आंध्र प्रदेश	23.3%	10.4%	24.3%	10.3%	24.2%	9.7%	24.4%	9.5%	24.3%	9.5%
2	अरुणाचल प्रदेश	0.0%	94.6%	0.0%	94.2%	0.0%	94.1%	0.0%	94.2%	0.0%	93.9%
3	असम	5.4%	20.4%	5.7%	16.7%	4.6%	15.1%	4.5%	16.8%	4.8%	15.7%
4	बिहार	20.2%	2.1%	20.1%	2.0%	16.5%	1.7%	12.6%	1.4%	12.7%	1.2%
5	छत्तीसगढ़	10.2%	32.2%	10.1%	33.6%	9.7%	34.9%	10.3%	33.8%	10.7%	32.7%
6	गोवा	1.7%	45.8%	0.5%	46.4%	0.9%	42.7%	3.6%	37.0%	3.3%	45.5%
7	गुजरात	5.1%	45.2%	5.4%	46.4%	5.2%	44.0%	5.6%	42.3%	5.8%	39.9%
8	हरियाणा	52.8%	0.0%	53.7%	0.0%	55.5%	0.0%	48.4%	0.0%	46.0%	0.0%
9	हिमाचल प्रदेश	26.4%	6.3%	26.6%	6.3%	26.4%	6.9%	26.2%	6.5%	26.2%	7.3%
10	जम्मू और कश्मीर	3.7%	12.3%	4.0%	11.4%	4.2%	12.1%	4.6%	12.9%	4.6%	12.6%
11	झारखंड	9.5%	23.4%	9.5%	24.9%	10.5%	24.8%	10.1%	24.7%	9.9%	26.0%
12	कर्नाटक	18.0%	12.1%	17.9%	11.7%	17.9%	11.5%	17.4%	10.4%	18.0%	10.4%
13	केरल	17.3%	6.4%	17.9%	6.3%	18.1%	6.0%	17.4%	5.6%	17.2%	5.4%
14	लद्दाख	0.0%	100%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%
15	मध्य प्रदेश	12.9%	36.5%	13.0%	35.1%	13.8%	33.9%	13.0%	35.1%	13.3%	35.5%
16	महाराष्ट्र	6.6%	16.3%	7.8%	17.1%	8.4%	18.7%	8.6%	20.5%	8.8%	25.3%
17	मणिपुर	2.8%	39.1%	2.7%	43.1%	2.5%	54.5%	2.7%	42.3%	2.8%	41.8%
18	मेघालय	0.7%	89.5%	0.7%	90.9%	0.5%	93.7%	0.6%	92.6%	0.6%	92.3%
19	मिजोरम	0.0%	99.0%	0.0%	99.1%	0.0%	99.1%	0.0%	99.2%	0.0%	99.2%
20	नागालैंड	0.0%	99.2%	0.0%	98.7%	0.0%	98.9%	0.0%	98.0%	0.0%	95.6%
21	ओडिशा	14.4%	35.5%	15.0%	31.7%	14.6%	32.7%	14.3%	32.8%	14.7%	32.8%
22	पंजाब	73.0%	0.0%	73.1%	0.0%	72.8%	0.0%	69.1%	0.1%	67.4%	0.1%
23	राजस्थान	20.6%	24.2%	20.4%	23.4%	20.8%	23.7%	20.4%	23.1%	20.7%	22.8%
24	सिक्किम	5.1%	40.5%	5.1%	40.8%	5.1%	41.0%	5.1%	41.9%	5.2%	42.0%
25	तमिलनाडु	27.7%	1.6%	28.2%	1.6%	29.0%	1.6%	29.6%	1.6%	30.2%	1.6%
26	तेलंगाना	20.5%	21.1%	20.9%	21.1%	21.0%	20.7%	21.5%	20.4%	21.8%	20.2%
27	त्रिपुरा	15.8%	46.5%	16.3%	45.4%	16.6%	45.1%	16.5%	44.4%	16.7%	44.0%
28	उत्तर प्रदेश	30.7%	1.0%	30.7%	1.0%	32.8%	1.1%	31.7%	1.2%	31.9%	1.1%
29	उत्तराखंड	16.3%	4.1%	17.2%	3.9%	17.3%	3.4%	17.0%	3.5%	16.7%	3.6%
30	पश्चिम बंगाल			11.1%	4.6%	24.1%	8.5%	27.6%	8.2%	29.2%	8.4%
31	अंडमान और निकोबार	0.0%	5.9%	0.0%	5.3%	0.0%	11.0%	0.0%	6.8%	0.0%	5.5%
32	दादरा और नगर हवेली तथा दमन और दीव	0.3%	96.8%	0.0%	96.2%						
33	लक्षद्वीप			0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	100.0%	0.0%	98.7%
34	पुदुचेरी	28.7%	0.3%	29.0%	0.3%	29.5%	0.2%	29.8%	0.2%	31.5%	0.2%
	कुल	18.9%	17.7%	19.2%	18.0%	19.3%	18.1%	19.5%	17.5%	20.2%	17.5%

(नरेगासॉफ्ट के अनुसार)

*****